

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- रबी विपणन मौसम, 2026-27 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना संख्या-1527 दिनांक-30.03.2026

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत रबी विपणन मौसम, 2026-27 में गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि रबी विपणन मौसम, 2026-27 हेतु तैयार कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप गेहूँ अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

सरकार के विशेष सचिव।
खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

सरकार के विशेष सचिव।
खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

सरकार के विशेष सचिव।
खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-08/2025

1536

खाद्य, पटना/दिनांक- 30/03/2026

प्रतिलिपि- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव /आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव।

★

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

**रबी विपणन मौसम 2026-27 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था अन्तर्गत गेहूँ
अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश।**

राज्य में गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के अंतर्गत सम्पन्न की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम, 2026-27 में गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 18 हजार मे0टन निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार राज्य अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त रबी विपणन मौसम, 2026-27 में केन्द्रीय एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा राज्य के चिन्हित प्रखंडों में यथासंभव क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्त गेहूँ को नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त गुण नियंत्रकों से गुणवत्ता की जाँच कराकर जमा करेंगे। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा को भारतीय खाद्य निगम के गुण नियंत्रक के द्वारा गुणवत्ता की जाँच कर भारतीय खाद्य निगम के चिन्हित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिप्राप्ति वर्ष 2026-27 में राज्य के किसानों से गेहूँ का क्रय कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत किसानों से ही हो। राज्य सरकार पूर्व की तरह अधिप्राप्ति अभियान को निर्वाचन कार्य के सदृश प्राथमिकता देती है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत नोडल एजेंसी होगी।

रबी विपणन मौसम, 2026-27 अंतर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित 18 हजार मे0टन के विरुद्ध पैक्स/व्यापार मंडल एवं केन्द्रीय एजेंसियों का लक्ष्य निम्नवत होगा -

1. पैक्स/व्यापार मंडल - 13,500 मे0टन
 2. भारतीय खाद्य निगम - 4,500 हजार मे0टन
- कुल - 18 हजार मे0टन**

पूरी प्रक्रिया Online Procurement System आधारित है। पैक्स/व्यापार मंडल एवं केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कृषि विभाग, बिहार, पटना में निबंधित उन्हीं किसानों से गेहूँ क्रय किया जाएगा जिनके द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि संबंधी विवरण दी गई हो।

अधिप्राप्ति संबंधी सभी कार्रवाई, यथा, किसान निबंधन, किसानों से गेहूँ का क्रय, भुगतान संबंधी विपत्र/एडवाईस, समितियों द्वारा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गेहूँ का प्रेषण, ट्रक चालान, स्वीकृत्यादेश (Acceptance Order), स्वीकृति-सह-विश्लेषण प्रतिवेदन (Acceptance Cum Analysis Report), क्रय-सह-भुगतान अभिश्रव (Purchase cum Payment Voucher), भुगतान आदेश (Payment Advice), बैंक सलाह, सूची का निर्माण, आदि Online ही सम्पन्न होंगे। Online निर्गत विभिन्न आदेशों की हस्ताक्षरित प्रति का ही उपयोग विभिन्न अनुसंगिक कार्य हेतु किया जाएगा। गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित सभी प्रकार का भुगतान Online निर्गत भुगतान आदेश के आधार पर PFMS के माध्यम से होगा। PFMS के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा।

चूँकि सारी प्रक्रिया Online सम्पन्न होना है, ऐसी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित अधिप्राप्ति संबंधित विवरणी मान्य होगी एवं भारत सरकार द्वारा निर्मित CFPP Portal पर सभी सूचनाएँ Real Time पर भौतिक सत्यापन आधारित Upload होगी।

रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खेती करने वाले किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति तथा पैक्स और व्यापार मंडलों के अतिरिक्त केन्द्रीय एजेंसी द्वारा नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गेहूँ प्राप्त कराने की अवधि निम्न प्रकार होगी :-

1	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	2585/- ₹0 प्रति क्विंटल
2	गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक- 01.04.2026 से 15.06.2026 तक★

★ बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/भारतीय खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 22.06.2026 होगी।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

- i. कृषि विभाग में निबंधित किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् उन किसानों से गेहूँ का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जा सकेगा।
- ii. कृषि विभाग में निबंधित 'रैयती किसान द्वारा निबंधन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र के आधार पर अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल अथवा भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चिन्हित स्थानों पर खोले गये क्रय केन्द्रों में गेहूँ अधिप्राप्ति कराई जाएगी।
- iii. गैर-रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् स्वतःजनित घोषणा-पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर गेहूँ अधिप्राप्ति अपने पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर स्थापित व्यापार मंडल अथवा केन्द्रीय एजेंसी द्वारा चिन्हित स्थानों पर खोले गये क्रय केन्द्रों पर कराई जाएगी।
- iv. कृषि विभाग में निबंधित तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि तथा अन्य संबंधी वांछित सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की सुविधा के लिए रबी विपणन मौसम, 2026-27 से esahkari.bihar.gov.in के अतिरिक्त आवेदन समर्पित करने के लिए क्यू0 आर0 कोड का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से निबंधित इच्छुक किसान क्यू0 आर0 कोड को स्कैन कर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
- v. कृषि विभाग में निबंधित तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी तथा अन्य वांछित सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की सुविधा तथा गेहूँ अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा e-Pacs Bihar Grains मोबाईल एप का निर्माण किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा इस मोबाईल एप के माध्यम से निबंधित एवं भूमि संबंधी सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की प्रदर्शित सूची के आधार पर निबंधित किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति की जाएगी।
- vi. राज्य में गठित सभी अंकेक्षित एवं चयनित पैक्स/व्यापार मंडल तथा केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा चयनित संस्थाएँ जिनका नाम कालीसूची में दर्ज नहीं हो, को क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील बनाया जाएगा। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ इसकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगा ताकि पंचायत के किसानों को गेहूँ बिक्री में कोई असुविधा न हो।
- vii. रबी विपणन मौसम 2026-27 में वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जिनके द्वारा विगत अधिप्राप्ति कार्यों में अनियमितता बरती गयी है तथा अनियमितता के विरुद्ध खाद्यान्नों के आर्थिक मूल्य के आधार पर वांछित राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई लंबित है, को गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा।
- viii. पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से क्रय किए गए गेहूँ के मूल्य के लिए किसानों को बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के द्वारा PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटों के अंदर भुगतान की व्यवस्था किसानों के नामित खातों में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किए गेहूँ का बकाया नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में या नगद भुगतान किया जाएगा।
- ix. केन्द्रीय एजेंसी द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटों के अंदर किसानों के नामित खातों में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किए गेहूँ का बकाया नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में या नगद भुगतान किया जाएगा।
- x. पैक्स/व्यापार मंडल के स्तर से अधिप्राप्त गेहूँ के विरुद्ध किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके नामित खातों में PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम के द्वारा सभी जिलों के जिला मुख्यालय में अवस्थित बैंकों में खोले गये खाता में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने के पश्चात् निर्गत एडवाईस के आलोक में सहकारी समितियों से उक्त खाते में अपेक्षित राशि प्राप्त कर PFMS के माध्यम से किसानों के खाते में भुगतान किया जायेगा।
- xi. अधिप्राप्त किए गए गेहूँ को पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उसकी गुणवत्ता

की जॉचोपरान्त जमा कराया जाएगा तथा उसका उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा।

- xii. पैक्सों/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा गेहूँ के विरुद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल esahkari.bihar.gov.in एवं CFPP पोर्टल पर प्रदर्शित गेहूँ की मात्रा के आधार पर विधिवत् जॉचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार केन्द्रीय एजेंसी द्वारा अधिप्राप्ति पोर्टल एवं सी0एफ0पी0पी0 पोर्टल पर प्रदर्शित गेहूँ की मात्रा के आधार पर PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- xiii. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है। ऐसी स्थिति में रबी विपणन मौसम 2026-27 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय-सीमा अंतर्गत अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा को जमा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरुद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई यथा Certificate Case की जाएगी। साथ ही बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा ऐसे पैक्स/व्यापार मंडल को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
- xiv. पैक्स/व्यापार मंडल/केन्द्रीय एजेंसी द्वारा वायदा-आधारित (future trade based) गेहूँ क्रय की अनुमति नहीं होगी एवं यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा ऑन-लाईन प्रतिवेदित नहीं की जाएगी।
- xv. वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा प्रतिवेदित न हो, इसके लिए पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ गेहूँ संग्रहण केन्द्रों का भी भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय सीमा के पूर्व गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा का अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायी जाएगी।
- xvi. भारत सरकार के द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत अधिप्राप्ति कार्यो एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्राप्त करने के लिए बहु-स्तरीय जॉच दल से Periodic inspection तथा Surprise inspection की व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार के स्तर से इस संदर्भ में निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर रबी विपणन मौसम, 2026-27 में गेहूँ की गुणवत्ता निरीक्षण का कार्य सम्पन्न किया जाएगा। पैक्स/व्यापार मंडल/केन्द्रीय एजेंसी के गोदामों तथा अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों के गोदामों में अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा को विधिपूर्वक भंडारित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार तथा निर्धारित बहु-स्तरीय जॉच के क्रम में अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा की सटीक जॉच की जा सके।
- xvii. ऐसी स्थिति में सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय एजेंसी का यह दायित्व होगा कि पैक्स/व्यापार मंडल/केन्द्रीय एजेंसी के गोदामों के साथ-साथ गेहूँ संग्रहण केन्द्रों के गोदामों का प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए एवं परिलक्षित त्रुटियों का ससमय निवारण करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
- xviii. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र No.15-24/2025-Py.III(E.390458) दिनांक 26.02.2026 के कंडिका- 3 एवं No.15-3/2026-Py.III(E.391363) दिनांक 12.03.2026 के द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आवश्यकतानुसार गन्नी बैग की व्यवस्था की जाएगी तथा एकबार प्रयोग किये गये गन्नी बैग्स को गेहूँ अधिप्राप्ति में उपयोग किये जाने हेतु भारतीय खाद्य निगम से समन्वय स्थापित कर गन्नी बैग्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
- xix. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् ऑनलाईन सम्पन्न किया जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक दिन अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा की Online Daily Reporting बाध्यकारी होगी। साथ ही उक्त से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रति भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा online माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- xx. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित एवं स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वी0 अथवा एक क्विंटल के गुणक में गेहूँ की प्राप्ति की जाएगी। इसी प्रकार केन्द्रीय एजेंसी के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के स्थापित संग्रहण केन्द्रों पर लॉटवार अथवा एक क्विंटल के गुणक में गेहूँ की प्राप्ति करायी जायेगी।

3.

जिला स्तरीय प्रबंधन।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब की जाएगी :-

A. लक्ष्य का निर्धारण

- जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार/पंचायतवार अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित की जाएगी, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।
- पैक्सवार/व्यापार मंडलवार गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला अंतर्गत गेहूँ उत्पादन के वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।

B. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

- रबी विपणन मौसम 2026-27 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडल द्वारा क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल हेतु निर्धारित क्रय केन्द्र की पूर्ण विवरणी, यथा क्रय केन्द्र की अवस्थिति, गोदाम की भंडारण क्षमता (कवर्ड एवं कैप के साथ) अधिसूचित की जाएगी। साथ ही सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसकी मैपिंग अधिप्राप्ति पोर्टल पर की जाएगी।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिलान्तर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गयी हैं :-
 - क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यथा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूँ में नमी की अनुमान्य प्रतिशत मात्रा (14%) एवं अन्य गुणवत्ता तथा क्रय केन्द्र से संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर का बैनर/दीवार अभिलेखन।
 - क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
 - कच्चा फर्श होने की स्थिति में खाद्यान्न डालने/रखने के निमित्त तिरपाल की व्यवस्था।
 - किसानों को प्रतीक्षा हेतु टेन्ट की व्यवस्था।
 - अस्थायी भंडारण सुविधा यथा सड़क/सीमेंटेड/पक्का फर्श तिरपाल से ढका हुआ की व्यवस्था।
 - लेन-देन रिकार्ड हेतु विहित प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्टर की व्यवस्था।
 - बायोमेट्रीक डिवाइस का संधारण।
 - माप-तौल यंत्र की व्यवस्था।
 - Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
 - प्रतिदिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची बेवसाईट/पैक्स/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
 - पर्याप्त रोशनी/विद्युत सम्पर्कता की व्यवस्था।
 - माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
 - आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था।
 - केन्द्र के आस-पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
 - विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
 - किसानों को PFMS के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल के क्रियाशील गोदामों एवं केन्द्रीय एजेंसी के चयनित केन्द्रों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :-
 - भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज (Dunnage) मटेरियल की उपलब्धता।
 - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप तिरपाल की उपलब्धता।
 - निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नाईलन की रस्सी।

- घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
- कैम्प कार्यालय की व्यवस्था।
- पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।
- अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पंजियों का संघारण।

iv. अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गेहूँ प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होंगे :-

- पैक्सों/व्यापार मंडलों से प्राप्त किए गए गेहूँ के विरुद्ध लॉटवार (प्रति लॉट 290 क्वी0) अथवा एक क्विंटल के गुणक में गेहूँ जमा किया जाएगा।
- प्रत्येक गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी पैक्स/व्यापारमंडलवार प्रति लॉट प्राप्त गेहूँ की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा।
- गेहूँ अधिप्राप्ति की सभी कार्रवाई esahkari.bihar.gov.in पर ऑन-लाईन सम्पन्न की जाएगी।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा जमा करने हेतु लिए गए गेहूँ का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रूप में संघारित किया जाना।
- गेहूँ के निर्गमन में प्रथम आगत-प्रथम निर्गत सिद्धांत (FIFO :- First In First Out) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

C भंडारण की व्यवस्था

- i. अधिप्राप्त गेहूँ के भंडारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम का पूर्ण विवरण, यथा गोदाम का नाम, गोदाम की अवस्थिति, भंडारण क्षमता (Covered/Uncovered के साथ) क्रमशः जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पैक्स द्वारा प्रयुक्त गोदामों की मैपिंग की जबाबदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों के लिए अधिसूचित गोदामों के मैपिंग की जबाबदेही जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी।
- ii. गेहूँ के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार क्रमशः पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किराया पर गोदाम लिया जा सकेगा।
- iii. जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े-बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। अगर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है, तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
- iv. अधिप्राप्त गेहूँ का भण्डारण नियमानुसार Stack-wise करने की अनिवार्यता होगी, जिससे भौतिक सत्यापन के क्रम में भंडारित गेहूँ की मात्रा का सटीक सत्यापन किया जा सके।
- v. सभी गेहूँ संग्रहण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले गोदामों को सत्यापनोपरान्त अवशेष भंडार शून्य (Zero Stock after Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही गेहूँ प्राप्त किया जाय।

D. परिवहन की व्यवस्था -

- i. अधिप्राप्ति कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा अनाजों के परिवहन करने वाले वाहनों का वाहन पोर्टल पर निबंधन, सत्यापन तथा जी0पी0एस0 ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाया गया है। तदनुसार सभी पैक्स/व्यापार मंडल गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहनों के निबंधन संबंधी ऑकड़े राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसका सत्यापन परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑन-लाईन किया जाएगा। मात्र जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही गेहूँ की ढुलाई की जायेगी। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों की व्यवस्था पैक्सों के द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी और इसे ससमय उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति

निगम के Vehicle Tracking System (V.T.S) पर की जाएगी। साथ ही, API के माध्यम से भारत सरकार के CFPP पोर्टल पर भेजी जाएगी।

ii. पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का परिवहन कर निगम द्वारा अधिसूचित एवं संचालित निकटतम गेहूँ संग्रहण केन्द्र में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचाया जाएगा।

4. गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात :-

- i. रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन-लाईन अपलोड किए जाने के पश्चात फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज-इनमें से कोई एक।
- ii. गैर रैयती कृषि विभाग में निबंधित किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती की जाने वाली भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड किए जाने के पश्चात (i) स्वतःजनित घोषणा-पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा (ii) फोटोयुक्त पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज।
- iii. क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतः जनित प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी।
- iv. रबी विपणन मौसम, 2026-27 अंतर्गत साफ-सुथरे एवं सूखे हुए गेहूँ, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाए। साथ ही भारत सरकार द्वारा गेहूँ हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।
- v. पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का हस्तांतरण निगम के अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र के गोदामों पर विहित प्रपत्र में निर्गत एक्सेप्टेन्स ऑर्डर के आधार पर किया जायेगा।

5. भुगतान की व्यवस्था

- i. किसानों को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय गेहूँ की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से किसान को दी जाएगी। तदोपरान्त बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों को उनके खाते में अधिप्राप्त गेहूँ की समतुल्य राशि PFMS के माध्यम से अधिकतम 48 घंटे के अंदर अंतरित की जाएगी एवं अंतरण की सूचना SMS से दी जाएगी।
- ii. पैक्सों/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा गेहूँ के विरुद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, गेहूँ का पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा निर्गत आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि के विधिवत राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा से जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।

6. प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा नई मानक संचालन प्रक्रिया (संलग्न) निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी जिला पदाधिकारी अधिप्राप्ति के दौरान पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण हेतु निम्नांकित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे :-

- i. गेहूँ संग्रहण हेतु निर्धारित गोदामों के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया जाएगा, जो गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएगी। जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा जिला अंतर्गत निर्धारित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों का प्रत्येक माह भ्रमण कर गुणवत्ता के जाँचोपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा।

- ii. भंडारण हेतु जिला अंतर्गत चिह्नित गोदामों में पैक्स/व्यापार मंडलवार भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जॉच के क्रम में परिलक्षित त्रुटियों के आलोक में दोषी पैक्स/व्यापार मंडल/कर्मियों की पहचान स्पष्ट हो।
- iii. भारत सरकार/भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा नियमित अंतराल पर गेहूँ अधिप्राप्ति का निरीक्षण तथा भारत सरकार के स्तर से अधिप्राप्ति कार्यक्रम के औचक निरीक्षण के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जॉच दल को प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान की जाएगी।
- iv. भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिला स्तर से गठित जॉच दल/संयुक्त जॉच दल/औचक निरीक्षण के क्रम में गोदामों में भंडारित गेहूँ की गुणवत्ता जॉच के दौरान Beyond Rejection Limit पाई जाती है, तो संबंधित स्टॉक के बदले FAQ गेहूँ जमा करने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल बाध्य होगा, जो उनके अपने जोखिम पर बदला जाएगा एवं बदले हुए स्टॉक को विहित जॉचोपरान्त प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत चिह्नित BRL स्टॉक को FAQ स्टॉक में बदलने तथा सत्यापन/प्रमाणन की पूरी कार्रवाई 06 सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी।
- v. जिला स्तरीय/संयुक्त जॉच दल स्तरीय/औचक निरीक्षण के क्रम में यदि गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में मानव उपभोग हेतु वर्जित/अयोग्य गेहूँ संधारित पाया जाता है, तो इस प्रकार के गेहूँ को अयोग्य घोषित करते हुए संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल को चिह्नित कर पूरी मात्रा की भरपाई समतुल्य FAQ गेहूँ प्राप्त कर ली जाएगी तथा अयोग्य घोषित गेहूँ का निस्तार संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के खर्च पर किया जाएगा।

7. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों (पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

(A) जिला पदाधिकारी की भूमिका।

- i. सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ 01 अप्रैल 2026 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अनुरूप सभी क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाए।
- ii. जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्त गेहूँ की शत प्रतिशत मात्रा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- iii. क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से गेहूँ का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर गेहूँ अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- iv. जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करना।
- v. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अनुरोध पर गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- vi. जिला पदाधिकारी द्वारा सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से स्वतंत्र एक वरीय पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु मनोनीत किया जाएगा।
- vii. कृषि विभाग के नियंत्रण में कार्यरत किसान सलाहकारों तथा जिला स्तर पर पूर्व अधिप्राप्ति वर्षों में गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में प्रशिक्षित उपलब्ध कर्मियों एवं अन्य पर्यवेक्षक स्तरीय कर्मियों को गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्रतिनियुक्ति।
- viii. जिला पदाधिकारी क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ix. जिला पदाधिकारी का दायित्व होगा कि ऑनलाईन प्रतिवेदित गेहूँ की मात्रा के आलोक में गोदामों का भौतिक सत्यापन कराकर विहित गुणवत्ता के अनुरूप गेहूँ की मात्रा को गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में जमा कर तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- x. अधिप्राप्ति अवधि (दिनांक 15.06.2026 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में गेहूँ क्रय का अंतिम प्रतिवेदन राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित ऑकड़ों के आलोक में भौतिक सत्यापनोपरान्त समेकित कराकर अधिकतम दिनांक. 22.06.2026 तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को

ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात किसी परिवर्तन/संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा।

चूँकि अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है, ऐसी स्थिति में दिनांक 15.06.2026 को esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित गेहूँ क्रय की मात्रा रबी विपणन मौसम, 2026-27 के लिए मान्य होगा। यदि भौतिक सत्यापन में क्रय केन्द्र पर गेहूँ की कम मात्रा पाई जाती है, तो संबंधितों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला पदाधिकारी यथोचित निर्णय लेंगे एवं जबावदेही निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराएंगे।

(B) जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ

- i. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना के अधीन होगा। साथ ही गेहूँ अधिप्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ-साथ जिला स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
- ii. अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

(C) अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका।

क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(D) अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भूमिका।

- i. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके नामित खातों में PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटे के अंदर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा। तदनुसार सहकारी संगठनों को एडवाईस तथा राशि का संसूचन एवं हस्तान्तरण करना होगा।
- ii. अनुमंडल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित गेहूँ संग्रहण केन्द्र एवं अतिरिक्त गेहूँ संग्रहण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक की प्रतिनियुक्ति एवं उसे 01 अप्रैल 2026 से क्रियाशील करना।
- iii. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय गेहूँ को गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर जमा करने हेतु Acceptance Order निर्गत करना।
- iv. पैक्स/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त गेहूँ के विरुद्ध निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ प्राप्त करना।
- v. प्रतिदिन पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना।
- vi. पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम का अधिप्राप्ति वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।
- vii. अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- viii. नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पैक्स/व्यापार मंडल से प्राप्त गेहूँ की मात्रा को विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार अंतः-जिला एवं अंतर जिला TPDS में उसके उपयोग का प्रबंधन करेगा।
- ix. पैक्स/व्यापार मंडल को अधिप्राप्त गेहूँ उपलब्ध कराने हेतु प्रति क्वींटल दो गन्नी बैग की व्यवस्था करना।
- x. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सुचारु एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेना।
- xi. गेहूँ अधिप्राप्ति की सतत् समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करना। रबी विपणन मौसम, 2026-27 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

(E) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका।

- i. जिला स्तर पर संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे।
- ii. राज्य अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्री करने वाले किसानों की संख्या, अधिप्राप्त गेहूँ की मात्रा तथा अधिप्राप्त गेहूँ के

एवज में किसानों को भुगतान की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि से संबंधित सूचना, राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो CFPP पोर्टल से एकीकृत होगी।

- iii. किसी भी दिन की दैनिक लेन-देन का विवरण राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल एवं केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल (CFPP) पर ऑटो-सिन्क्रोनाइजेशन के माध्यम से अगले दिन सुबह 06 बजे से पहले CFPP पोर्टल पर प्रसारित करेंगे।
- iv. यदि पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से गेहूँ ससमय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना एवं निर्धारित समय-सीमा के अंदर गेहूँ की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना।
- v. रबी विपणन मौसम, 2026-27 अंतर्गत सिर्फ अंकेक्षित एवं गैर प्रमादी पैक्स/व्यापार मंडलों को गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- vi. क्रय केन्द्र पर गेहूँ की प्राप्ति, क्रय केन्द्र पर संचालित विभिन्न कार्य एवं गेहूँ संग्रहण केन्द्रों तक गेहूँ जमा किए जाने के लिए परिवहन एवं हथालन का व्यय नियमानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा।
- vii. सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्सों/व्यापार मंडल को नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलंब उपलब्ध हो। इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना समितियों को ससमय कैश-क्रेडिट कराना सुनिश्चित करेगा।
- viii. पैक्स/व्यापार मंडल का दायित्व है कि सहकारी बैंको से प्राप्त कैश-क्रेडिट लिमिट अंतर्गत ही उनके द्वारा ऑन-लाईन एडवार्ड्स जेनरेट कर उतनी ही राशि राज्य खाद्य निगम के जिले में संचारित बैंक के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- ix. अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना।
- x. गत वर्ष में अक्रियाशील जैसे पैक्स/व्यापार मंडल, जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाए, को रबी विपणन मौसम, 2026-27 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधिसम्मत कार्रवाई करना, ताकि सभी पंचायतों में गेहूँ अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- xi. पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर गेहूँ के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को PFMS के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार की सतत निरागनी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदण्ड निर्धारित करना।
- xii. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों का सुचारुपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- xiii. पैक्स अध्यक्षों/व्यापार मंडल के प्रबंधकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।

(F) अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका।

- i. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- ii. नोडल विभाग के रूप में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।
- iii. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि का प्रबंध करने में सहयोग करना।
- iv. अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित नीतिगत हस्तक्षेप।

(G) जिलों के प्रभारी सचिव की भूमिका।

प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

(H) प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका।

- i. अधिप्राप्ति कार्य की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा।


- ii. अपने स्तर से जाँच दल गठित कर अधीनस्थ जिलों में अधिप्राप्ति कार्य का औचक निरीक्षण कराते रहना।
- iii. प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना।


8. स्थानांतरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध।

- i. सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होंगे।
- ii. अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

चूँकि गेहूँ अधिप्राप्ति सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की distress sale की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।


(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
सहकारिता विभाग
बिहार, पटना।


30/11/26
(अभय कुमार सिंह)
सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।